

- :: आदेश :: -

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मांगलोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 132 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नंबर 488 रकबा 0.2023 , खसरा नंबर 573 रकबा 0.6475 हैक्टेयर , खसरा नंबर 574 रकबा 1.5216 हैक्टेयर, खसरा नंबर 849 रकबा 2.1853 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 शंकरराम पुत्र रामूराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भूराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 488 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नंबर 573 रकबा 0.6475, खसरा नंबर 574 रकबा 1.5216 हैक्टेयर रखे गये हैं।
2. वादी हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 132 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 1.6187 में से 0.7284 हैक्टेयर उत्तरी भाग रखा गया है।
3. वादी सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 1.6187 में से 0.8903 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 849 रकबा 2.1853 हैक्टेयर रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



07/03/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल